भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5512

बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम-कुसुम के तहत विद्युत क्रय समझौते

5512. श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के अंतर्गत, लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी होने के बाद, 31 दिसम्बर, 2025 तक की निर्धारित समय-सीमा के भीतर परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात प्रस्तुत आवेदनों के लिए विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) जारी नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पीपीए की कार्यवाही को लंबित रखने के निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि सरकार पीएम-कुसुम की समय-सीमा नहीं बढ़ा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या वर्तमान में निर्धारित समय-सीमा के भीतर किसानों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के लिए पीपीए जारी किए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (घ) पीएम कुसुम एक मांग-संचालित योजना है, तथा क्षमताओं का आबंटन राज्यों द्वारा रखी गई मांग तथा उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। इस योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 है। अतः, योजना के अन्तर्गत देनदारियों को अंतिम रूप देने के लिए योजना के तहत पीपीए पर हस्ताक्षर करने की अंतिम तिथि 31.12.2025 के विषय में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित कर दिया गया था ।

लाभार्थी के चयन तथा निविदा, आबंटन पत्र (LOA) जारी करने, विद्युत खरीद करार (PPA) पर हस्ताक्षर करने, चालू हो जाने का (कमीशनिंग) प्रमाणपत्र जारी करने सहित कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) की है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (MPVVNL) मध्य प्रदेश राज्य में पीएम कुसुम योजना की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी है।

एमपीयूवीएनएल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिशा-निर्देशों की अनुपालना न करने, दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण में विलंब तथा दस्तावेजीकरण में मौजूदा कमियों के कारण मध्य प्रदेश राज्य में पीएम कुसुम योजना के घटक क के अन्तर्गत निर्धारित समय-सीमा अर्थात 31.12.2025 तक कुल 57 परियोजनाओं के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सके ।

राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को अंतिम तिथि में कोई विस्तार नहीं दिया गया ।
